अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0–145/2013

अपीलार्थी – सुकनी देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1703/प्रो0 दिनांक 23.11.2013 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में मामला/आरोप यह है कि पिपरा परियोजना के केन्द्र सं0– 23 राम जी यादव के घर के निकट केन्द्र का महिला पर्यवेक्षिका सुश्री वंदना द्वारा दिनांक 06.04.2013 एवं 09.05.2013 को निरीक्षण किया गया दोनो ही निरीक्षण तिथि में केन्द्र की सहायिका श्रीमती सुकनी देवी अनुपस्थित पाई गई।

अपीलार्थी (सहायिका) सुकनी देवी को केन्द्र से निरीक्षण तिथि को अनुपस्थित के संबंध में कार्यालय पत्रांक 1127/प्रो0 दिनांक 23.07.2013 से स्पष्टीकरण की माँग किया गया दिनांक 31.07.2013 को सहायिका अपने स्पष्टीकरण के साथ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के समक्ष सुनवाई में उपस्थित हुई।

इस आँगनबाड़ी अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में हुई, जिसमें अपीलार्थी के तरफ से विद्वान अधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता ने बहस में हिस्सा लिया/अपीलार्थी के तरफ से विद्वान अधिवक्ता ने हिस्सा लेते हुए, बताया कि

अपीलार्थी (सहायिका) सुकनी देवी दिनांक 06.04.2013 एवं 09.05.2013 को जान बुझकर केन्द्र से अनुपस्थित नहीं हुई थी, बल्कि आकस्मिक अवस्थता (स्त्रीजन्य रोग माहवारी) के कारण दिनांक 04.04.2013 से 06.04.2013 तक एवं दुसरें माह में दिनांक 07.05.2013 से 09.05.2013 तक अनुपस्थित रही थी, चूँकि अप्रैल 04 से 06 अप्रैल तक माहवारी में काफी अधिक रक्तश्राव होने के कारण अधिक तकलीफ हुई, जिसके कारण सहायिका केन्द्र पर नहीं गई, तथा वे डॉक्टर के पास ईलाज हेतु चली गई, चूँकि तकलीफ काफी ज्यादा था, इसलिए डॉक्टर के पास ईलाज हेतु जाना आवश्यक प्रतीत हुआ। जिस संदर्भ में डॉ0 वी0वी0 सिंह चिकित्सा पदाधिकारी एम0बी0बी0एस0 का पूर्जा अवलोकन कराया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि सहायिका सुकनी देवी जान–बूझकर कोई गलती नहीं की है, बल्कि विशेष अवकाश (Special Leave) के वजह से केन्द्र से अनुपस्थित हुई थी, उन्होंने यह भी बताया कि बिहार सरकार/केन्द्रीय सरकार में ऐसा प्रावधान किया गया है कि महिला कर्मचारी को माह में दो दिनों का विशेष अवकाश इसी कारण दिया जाता है, और इस आधार पर अपीलार्थी को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो नहीं दिया गया एवं इसे नजर अंदाज करते हुए चयन मुक्त कर दिया गया जो नैसर्गिक न्याय के सर्वथा विपरीत है।

इसके साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी अपना पक्ष रखते हुए बताया कि अपीलार्थी सहायिका सुकनी देवी सिर्फ अप्रैल– 13 में दिनांक 04 से 6 अप्रैल एवं मई –13 में 07 मई से 09 मई तक अपनी उपस्थिति नहीं बनाई, चूँकि वे अस्वस्थ थी, इसके अलावे प्रत्येक महीने वह उपस्थित थी, बावजूद इसे नजर अंदाज करते हुए चयन मुक्त कर दिया जो कानुनन गलत है। इसके साथ सहायिका के विरूद्ध लाभुक वर्ग या कोई शिकायत अनुपस्थित रहने का नहीं है, या काम नहीं करने का आरोप लगाया गया है। दोनों ही तिथि में केन्द्र पर लाभुक बच्चों की संख्या 28 एवं 26 दर्शाया गया है। सेविका द्वारा केन्द्र का संचालन सुचारूरूपेण चलाने की बात दर्शाया गया है, इस आधार पर सहायिका की मदद केन्द्र चलाने में अवश्य भागीदारी रहती होगी, इससे ज्ञात होता है।

उपरोक्त विवेचनाओं एवं निष्कर्षो के आधार पर पर कहा जा सकता है कि सहायिका सुकनी देवी विशेष अवकाश (Special Leave) (स्त्रीजन्य माहवारी) के कारण निरीक्षण तिथि को अनुपस्थित थी, चूँकि स्त्रीजन्य माहवारी में काफी दर्द रक्त –श्राव के साथ हुआ था, ऐसी स्थिति में कोई भी महिला Bed Rest सर्वप्रथम

चाहती है। यह बात तो महिला ही महसुस करती है कि कभी कभाल किसी किसी महिला को इतना अधिक तकलीफ से रक्तश्राव होता है कि कोई भी काम करने से वह लाचार हो जाती है, ऐसी स्थिति में आराम की सख्त जरूरत होती है । अतः इसके आधार पर कार्य पर न जाने पर इतना कठोर दंड देना वास्तव में Natural Justice का उल्लंघन ही माना जायेगा, ज्यादा से ज्यादा लघुदंड देकर इसे माफ किया जा सकता था, किन्तु इतना कठोर दंड देना न्यायहित में लिया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण निर्णय है। अतः इसे खंडित करते हुए सहायिका को लघु दंड अनुपस्थिति तिथि को मानदेय की कटौती करते हुए पुनः आदेश निर्गत तिथि से चयन को बरकरार रखा जाता है।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.5.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.5.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा